


पत्रांक- जी०एस०टी०/2017-18/

903 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ०प्र०
(जी०एस०टी० अनुभाग)
::लखनऊ:: दिनांक:अक्टूबर,26,2017

::शुद्धि पत्र::


इस कार्यालय के आदेश सं०-885 दिनांक- 23-10-17 द्वारा उत्तर प्रदेश मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के नामित सदस्यों के मोबाइल नं०, दूरभाष सं० एवं ई-मेल अधिसूचित किये गये थे तथा उक्त समिति का कार्यालय 04, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ अधिसूचित किया गया था। केन्द्र सरकार की ओर से नामित श्री वी० वाल्टे कमिश्नर सी०जी०एस०टी० लखनऊ की दूरभाष सं० व ई-मेल आई०डी० त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है जिसे निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

"(ख) श्री वी० वाल्टे कमिश्नर सी०जी०एस०टी० लखनऊ, मोबाइल नं०- 9402507544, दूरभाष सं०- 0522-2233123, ई०मेल०- commr-cexlko@nic.in"


एडीशनल कमिश्नर(जी०एस०टी०)
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जी०एस०टी० काउन्सिल, भारत सरकार की सेवा में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश की सेवा में सूचनार्थ।
3. प्रिन्सिपल चीफ कमिश्नर सी०जी०एस०टी० एवं सेन्ट्रल एक्साइज लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. श्री वी० वाल्टे कमिश्नर सी०जी०एस०टी० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री आन्जनेय कुमार सिंह एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
7. पी०आर०ओ० वाणिज्य कर मुख्यालय को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।


एडीशनल कमिश्नर(जी०एस०टी०)
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।